



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2205]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 24, 2011/अग्राहयणा 3, 1933

No. 2205]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 2011/AGRAHAYANA 3, 1933

विदेश मंत्रालय

(नालन्दा प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2011

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति आदेश, 2011

क्र.आ 2626(अ) —नालन्दा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (2010 का 39) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'नालन्दा अधिनियम' कहा गया है) 21 सितम्बर, 2010 को अधिनियमित किया गया था और उक्त अधिनियम के उपबंधों को 25 नवम्बर, 2010 को प्रवर्तन में लाया गया था ;

और नालन्दा अधिनियम की धारा 7 विश्वविद्यालय के शासी बोर्ड के गठन के लिए उपबंध करती है ;

और नालन्दा अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) का परन्तुक यह उपबंध करता है कि नालन्दा परामर्शदाता समूह, शासी बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन एक वर्ष की अवधि या धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ग) से खंड (घ) में निर्दिष्ट सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किए जाने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, करेगा,

और नालन्दा परामर्शदाता समूह 25 नवम्बर, 2010 से शासी बोर्ड के रूप में कृत्य कर रहा है तथा नालन्दा अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के परन्तुक के निबंधनानुसार उसका कार्यकाल 24 नवम्बर, 2011 को समाप्त हो जाएगा;

और सरकार ने नालन्दा अधिनियम की धारा 7 के निबंधनानुसार कुलपति तथा अन्य सदस्यों का चयन करने और नामनिर्देशन करने की प्रक्रिया आरंभ और स्थापित कर दी है जिसमें कुछ समय लगने की संभावना है ;

और नालन्दा परामर्शदाता समूह के, जो नए बोर्ड के गठन से पूर्व विश्वविद्यालय के शासी बोर्ड के रूप में कार्य कर रहा है, विघटन के कारण विश्वविद्यालय और उसके शासन के चल रहे कार्यक्रमों का कार्यान्वयन रुक जाएगा ;

और नालन्दा अधिनियम की धारा 7 शासी बोर्ड की संरचना के लिए उपबंध करती है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, पूर्वी एशिया शिखर के सदस्य राज्यों में से पांच सदस्यों और ऐसे व्यक्तियों में से, जो प्रख्यात विद्वतजन या शिक्षाविद् हैं, तीन सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा ;

और शासी बोर्ड के सदस्य के चयन की प्रक्रिया चल रही है, किन्तु इसमें कुछ समय लगने की संभावना है, क्योंकि इसमें पूर्वी एशिया शिखर के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श और प्रख्यात विद्वतजनों तथा शिक्षाविदों के चयन पर विचार किए जाने की अपेक्षा होगी;

और यद्यपि, सरकार तत्परता से शासी बोर्ड का गठन करने के लिए सभी उपाय कर रही है किन्तु पूर्वर्ती पैराओं में वर्णित संरचना को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ समय लगने की संभावना है और नालन्दा अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यह एक वास्तविक कठिनाई है और इसलिए इस कठिनाई को दूर करने के लिए एक आदेश जारी करने का प्रस्ताव किया जाता है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, नालन्दा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (2010 का 39) की धारा 41 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

धारा 8 की उपधारा (2) के परन्तुक में, "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. एम/321/19/2011]

डॉ. जितेन्द्र नाथ मिश्र, संयुक्त सचिव (नालन्दा)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(Nalanda Division)

ORDER

New Delhi, the 24th November, 2011

THE POWER TO REMOVE DIFFICULTIES ORDER, 2011

S.O. 2626(E). Whereas, the Nalanda University Act, 2010 (No. 39 of 2010) (hereinafter referred to as 'Nalanda Act') was enacted on 21st September 2010 and the provisions of the said Act was brought into force on the 25th day of November, 2010;

And whereas, section 7 of the Nalanda Act makes provision for constitution of the Governing Board of the University;

And whereas, the proviso to sub-section (2) of section 8 of the Nalanda Act provides that the Nalanda Mentor Group shall exercise the powers and discharge the functions of the Governing Board for a period of one year or till such time as the members referred to in clauses (c) to (g) of sub-section (1) of section 7 are nominated, whichever is earlier;

And whereas, the Nalanda Mentor Group has been functioning as the Governing Board since 25th November, 2010 and its tenure in terms of the proviso to sub-section (2) of section 8 of the Nalanda Act shall come to an end on the 24th November, 2011;

And whereas, the Government has taken an initiative and set the process to select and nominate the Vice-Chancellor and other Members in terms of section 7 of the Nalanda Act, which is likely to take some time;

And whereas, the dissolution of the Nalanda Mentor Group which is working as the Governing Board of the University before the constitution of a new Board will cause discontinuity in the implementation of the ongoing programmes of the University and its governance;

And whereas, section 7 of the Nalanda Act provides for the composition of the Governing Board which, inter alia, consists of five members from amongst the Member States of the East Asia Summit and three members from amongst the persons being renowned academicians or educationists, to be nominated by the Central Government;

And whereas, the process for selection of the members of the Governing Board is going on but it is likely to take some time as it would require consultation with the Member States of the East Asia Summit and consideration of selection of the renowned academicians and educationists;

And whereas, though the Government is taking all steps to promptly constitute the Governing Board but in view of the composition mentioned in the preceding paragraphs, it is likely to take some time and it is a genuine difficulty in giving effect to the provisions of the Nalanda Act and therefore it is proposed to issue an Order to remove this difficulty;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 41 of the Nalanda University Act, 2010 (No. 39 of 2010), the Central Government hereby makes the following amendment, namely:-

In the proviso to sub-section (2) of section 8, for the words "one year", the words "two years" shall be substituted.

[F. No. S/321/19/2011]

Dr. JITENDRA NATH MISRA, Jt. Secy. (Nalanda)